न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 116/2013

1 सावित्री देवी पत्नी रतीराम उम्र 62 वर्ष।
2 अरूण कुमार पुत्र रतीराम उम्र 40 वर्ष।
3 अरविन्द कुमार पुत्र रतीराम उम्र 28 वर्ष।
4 रामकला पुत्री रतीराम उम्र 46 वर्ष।
5 रंजु पुत्री रतीराम उम्र 36 वर्ष समस्त जाति अहीरान निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र श्योकरण उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 भूमिधारक जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।
3 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 15.10.13 जो कि वाद संख्या 138/2011 उनवान सावित्री बनाम बलबीर एवं अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 27.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2011 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 46,144,202,203/1,238,255 वाके ग्राम कलाखरी बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद पोषणीय नही मानते हुये विचाराधीन निर्णय से खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि धारा 53 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विभाजन हेतु वाद एक अथवा अधिक भूमि क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यदि वाद एक से अधिक अथवा केवल एक ही भूमि क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त धारा 53(4) केवल यह शर्त आरोपित करती है कि जिस होल्डिंग के डिविजन के लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है उसके समस्त को–टेनेन्ट्स तथा लैण्ड होल्डर को पार्टी बनाया जाना चाहिए धारा 53(5) यह प्रतिपादित करती है कि एक से अधिक होल्डिंग के डिविजन के लिए वाद केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि पक्षकार एक ही हो। अतः उक्त दोनों ही धाराऐं ऐसा कोई प्रतिबन्ध आरोपित नही करती है कि यदि पक्षकारों के खातेदारी अधिकार एक से अधिक भूमि क्षेत्र में हो तो उन समस्त भूमि क्षेत्रों के विभाजन के लिए एक ही वाद पत्र प्रस्तुत किया जावें। बल्कि उक्त धाराऐं केवल मात्र यह सिद्वान्त प्रतिपादित करती है कि वाद एक अथवा अधिक भूमि क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु समस्त सह खातेदारों एंव लैण्ड होल्डर को पार्टी बनाये जाने के पश्चात तथा यदि वाद एक से अधिक भूमि क्षेत्र के विभाजन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लिए प्रस्तुत किया गया है तो ऐसा वाद केवल तभी पोषणीय होगा जबकि उन सभी भूमि क्षेत्रों के लिए पक्षकार समान हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के गांव कलाखरी में वर्तमान खाता संख्या 18 व गांव मानपुरा में वर्तमान खाता संख्या 47 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादीगण ने उस भूमि का दावा नहीं किया क्योंकि पक्षकारों में करीब 40 साल से भी अधिक समय से बंटवारा हो रहा है। वादीया सावित्री व रामकला की मौखिक साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें पक्षकरों में प्रतिवादी बलबीर के पिता के समय से ही भूमि का बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी का यह भी तर्क है कि जिस भूमि पर वादीगण का कब्जा है। उसको दावे में शामिल नही किया जिस पर प्रतिवादी का कब्जा है केवल उसी का दावा किया है तथा धारा 53 व 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का अवलम्ब लेते हुए निवेदन किया कि दावा वादीगण कानून के विरूद्व है। पक्षकारों में जो भूमि इस तहसील में है उस सम्पूर्ण का एक साथ दावा करना चाहिए था जो नही किया, भूमि का टुकड़ों में विभाजन नही हो सकता है तथा खसरा नम्बर 255 में प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्माण कर काफी सुधार कार्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्माण किया तो उन्हे इस भूमि के साथ सटती हुई सरकारी भूमि के बाबत धारा 91 का नोटिस सन 2002 व 2008 में दिया गया था इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्माण स्वंय ने ही किया है। अर्थात जो सुधार कार्य प्रतिवादी संख्या 1 ने किये है उनमें से वादीगण हिस्सा लेना चाहते है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नोटिस प्रदर्श– ए7, ए8 से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 255 में जो निर्माण किया गया है वह रेस्पोडेंट के द्वारा किया गया है तथा जमाबंदी संवत प्रदर्श ए2, ए6 से यह साबित होता है कि इन्ही पक्षकारों की गांव कलाखरी व मानपुरा में संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसको वादीगण ने इस दावे में शामिल नहीं किया है। इससे रेस्पोडेंट के इस कथन की पुष्टि होती है कि बाहमी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में जो भूमि आई थी उसका दावा नही किया है। रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में है उसका दावा किया है तथा वाद पत्र के अनुतोष में भी उन्होने प्रत्येक खसरा नम्बर का दो भाग करने का अनुतोष चाहा है जो राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 के विपरित है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर